


कार्यालय, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची

3

पत्रांक- 2383

दिनांक- 21-8-15



तकनीकी विशेषज्ञ निबंधन/अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र

निबंधन/अनुज्ञप्ति संख्या-ER/0040/2015/RRDA



प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार

पिता- सच्चिदानन्द प्रसाद, मकान संख्या 511 रोड नं०-5 बसंत विहार, हरमू, राँची

को उनसे प्राप्त आवेदन पर समीक्षोपरान्त निदेशानुसार वर्ष 2015 से 2016 (दिनांक 08.

08.2015 से 31.12.2016 तक की अवधि) के लिए राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के

नियंत्रणाधीन क्षेत्र में भवन नक्शा तैयार करने एवं स्वीकृति के लिए जाँचोपरान्त अग्रसारित करने

हेतु अभियंता के रूप में निबंधित करते हुये अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाता है। उक्त अनुज्ञप्ति हेतु

न शुल्क के रूप में कुल ₹ 5,000.00 (पांच हजार) रुपये मात्र नगद या बैंक ड्राफ्ट नं०

दिनांक बैंक/शाखा का नाम के माध्यम से

प्राधिकार रसीद संख्या-49237 दिनांक 14.07.15 के द्वारा राशि प्राधिकार को प्राप्त है। उक्त

नवीकरण अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्ति के पूर्व ही (दिनांक 08.08.2015 से 31.12.2016 तक)

नवीकरण हेतु ₹ 1,000.00 (एक हजार) रुपये मात्र नगद/बैंक ड्राफ्ट के साथ विहित प्रपत्र में

आवेदन प्राधिकार में जमा करना अनुज्ञप्तिधारक के लिए अनिवार्य है। अनुज्ञप्ति की उक्त अवधि के

समाप्ति के पूर्व पुनः नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन जमा नहीं करने पर नवीकरण अनुज्ञप्ति

की समाप्ति के बाद में नवीकरण का आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा फिर से नये सिरे से

निबंधन कराना होगा। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारक स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा भविष्य में इनके विरुद्ध

कोई दावा मान्य नहीं होगा।

Sanjay Kumar

तकनीकी विशेषज्ञ का पूर्ण हस्ताक्षर

Sanjay Kumar

Sanjay Kumar
21.08.15
सचिव,

राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार,
राँची।

Sanjay Kumar
21/8/15

Attested
Sanjay Kumar
23/01/18
प्रमाणित किया जाता है
कारखाना; राँची